

सं०-7/अ.औ.स्थानीय-14-01/2017 127(7)@

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर०के०महाजन,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना।

निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।

निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना।

पटना, दिनांक : 04-01-18

विषय: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विपत्र कोड-20-2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹8,34,12,313/- (आठ करोड़ चौतीस लाख बारह हजार तीन सौ तेरह) रूपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-14(7)ब दिनांक-15.05.17, 26(7)ब दिनांक-15.06.17, 34(7)ब दिनांक-20.07.17, 38(7)ब दिनांक-28.07.17 101(7)ब दिनांक-05.12.17 एवं 114(7)ब दिनांक-14.12.17 के क्रम वर्तमान वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹8,34,12,313/- (आठ करोड़ चौतीस लाख बारह हजार तीन सौ तेरह) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विपत्र कोड- 20-2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक-ब-15/बी०एस०जी०- 255/ 2017-1208/वि० दिनांक-13.12.17) के तहत प्राप्त राशि से निकासी की जायेगी।

4. दवा भंडार एवं सामग्री एवं पूर्तियों इकाई के राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, पटना / निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/ निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना /उपाधीक्षक, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ संबंधित औषधालय/ अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ उपाधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के भुगतान के लिए उप आवंटन एक मुस्त करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यरत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।


7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

8. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।
9. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
10. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लायी गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को आवंटित राशि में से अवमाननावाद संख्या-5964/2013 में रू042,00,000/- (लगभग) सम्मिलित है जो डा0 एन0एन0 राय, परामर्शी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के अन्तर बकाया वेतन/ बकाया वेतन भुगतान से संबंधित दी जा रही है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(आर0 के0 महाजन)


सरकार के प्रधान सचिव

/पटना, दिनांक : 04/04/18

ज्ञापांक : 127(7)9

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0),बिहार,पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्थानीय अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव
रंजीत

विवरण

व्यय शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विपत्र कोड-20-2210012000005 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला/स्थान का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	विकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	विकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	किराया महसूल एवं कर	दवा भंडार	सविदा सेवाएँ	मशीने एवं उपकरण	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	सिविल सर्जन, पटना	25000000	18750000	5250000	250000	250000	500000	5000000	37313	10000	10000	30000	200000	15000	0	0	0	0	50302313	604125717 7653198 720611 955111
2	निदेशक, न्यू गार्डिन रोड अस्पताल, पटना	2000000	1500000	440000	50000	20000	40000	4050000	0	0	10000	0	0	0	0	100000	0	0	5060000	98223
3	निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवरीनगर, पटना	10000000	7500000	2000000	200000	100000	200000	20000000	25000	0	0	0	40000	0	0	0	2500000	0	22925000	590212 537911
4	निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना	2000000	1500000	440000	50000	20000	40000	4050000	0	0	5000	30000	20000	0	40000	0	300000	500000	5125000	298218
	कुल	39000000	29250000	8130000	550000	390000	780000	78100000	62313	10000	25000	60000	800000	15000	40000	100000	2800000	500000	83412313	

(आठ करोड़ चौतीस लाख बारह हजार तीन सौ तेरह रु.) मात्र

127(7)A
04-01-18

R. S. S. S.
सरकार के प्रधान सचिव
दस्तावेज

उपबंध की स्थिति -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध (द्वितीय अनुसूचक सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0005-01-01)	108327000	66800000	39000000	105800000	2527000
2	जीवन यापन भत्ता (0005-01-03)	116936000	87590000	29250000	116840000	96000
3	मकान किराया भत्ता (0005-01-04)	21423000	12910000	8130000	21040000	383000
4	परिवहन भत्ता (0005-01-05)	1626000	1000800	550000	1550800	75200
5	चिकित्सा भत्ता (0005-01-06)	936000	382600	390000	772600	163400
6	अन्य भत्ता (0005-01-07)	2120000	1164000	780000	1944000	176000
	योग 20-2210.01.200.0005.01 वेतन	251368000	169847400	78100000	247947400	3420600
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0005-06-01)	1000000	0	62313	62313	937687
8	यात्रा व्यय (0005-11-01)	100000	85000	10000	95000	5000
9	कार्यालय व्यय (0005-13-01)	200000	175000	25000	200000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0005-13-02)	200000	95000	60000	155000	45000
11	दूरभाष (0005-13-03)	100000	100000	0	100000	0
12	विद्युत प्रभार (0005-13-04)	4000000	3200000	800000	4000000	0
13	विधि प्रभार (0005-13-05)	110000	50000	15000	65000	45000
14	दर्दी / पोषाक (0005-13-06)	100000	100000	0	100000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0005-14-01)	600000	530000	40000	570000	30000
16	प्रशिक्षण व्यय (0005-20-03)	900000	0	0	0	900000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0005-21-01)	2200000	2200000	0	2200000	0
18	दवा भंडार (0005-21-02)	22000000	14000000	1000000	15000000	7000000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0005-27-02)	5000000	0	0	0	5000000
20	संचिदा सेवार् (0005-28-02)	20000000	17000000	2800000	19800000	200000
21	मशीने एवं उपस्कर (0005-52-01)	8200000	5936706	500000	6436706	1763294
	कुल योग:-	316078000	213319106	83412313	296731419	19346581

127(F)A

04-01-18

R. J. J.

सरकार के प्रधान सचिव

श्री